रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 1977/चैत्र 17, 1899
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 1977/CHAITRA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April 1977

S.O. 291(E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the Vice-President acting as President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twentieth Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule,—

(i) for entry 8, the following entry shall be substituted, namely.—

"8 Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya).

(i) Department of Health (Swasthya Vibhag)

(ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag).",

(ii) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely —

"9. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)

[with a Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag) and a Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)]",

(iii) for entry 29, the following entry shall be substituted, namely —

"29 Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya).",

3 In the Second Schedule to the said rules,—

(i) under the heading "DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (RAJASWA AUR BANKING VIBHAG)", after entry 14, the following entry shall be inserted, namely —

"14A Enforcement viz, investigation, adjudication and prosecution of cases arising out of breaches, under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947, the Directorate General of Revenue Intelligence-cum Directorate of Enforcement",

(ii) for the heading "MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SWASTHYA AUR PARIVAR NIYOJAN MANTRALAYA)", the following heading shall be substituted, namely —

"MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)",

(iii) under the heading "MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)", for the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING (PARIVAR NIYOJAN VIBHAG)", the following sub-heading shall be substituted, namely —

"B. DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (PARIVAR KALYAN VIBHAG)",

(iv) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", after the sub heading "DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE (RAJBHASHA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely —

"DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)

I. Recruitment, Promotion and Morale of the Services.

1 Reservation of posts in Services for certain classes of citizens

2 General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railway Services and Services under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electronics Vibhag), and the Department of Space (Antareeksh Vibhag)

3 General policy regarding age limits, medical standards, educational qualifications and recognition of non-technical degrees/diplomas for appointment to Government service

4 General policy matters regarding classification of posts and grant of gazetted status in relation to Services other than Railway Services

5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its Attached Offices except that for the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electronics Vibhag), and the Department of Space (Antareeksh Vibhag).

6 Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electronics Vibhag), and the Department of Space (Antareeksh Vibhag).

7 General policy regarding employment assistance to persons of Indian origin coming from various countries

8 Concessions to War Service candidates in respect of appointments to Civil posts and Services

9 General policy regarding resettlement of displaced Government servants from areas now in Pakistan, and retrenched temporary employees

10 Concessions to political sufferers in the matter of first appointment or re-appointment to the Public Services

11. General policy regarding grant of extension to or re-employment of super-annuated officers

12 Issue of certificates of eligibility for appointment to Civil Services and posts under the Union in respect of persons other than Indian citizens

13 (a) Deputation of Indian experts abroad under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) and on bilateral basis of the developing countries of Asia, Africa and Latin America

(b) Deputation of officers for placements with the United Nations and its allied agencies, as also with other international agencies, like ILO, FAO, etc

14 General policy regarding verification of character and antecedents—suitability of candidates for appointment to Government service

15 Policy matters relating to issue of 'no objection' certificates to serving personnel for registration with the Employment Exchange for higher posts

16 Matters relating to Personal Staff of Ministers

17. Re-deployment of staff rendered surplus in Central Government offices as a result of—

(i) administrative reforms,

(ii) studies made by the S I U ,

(iii) winding up of long term but temporary organisations.

18 Advising Ministries on proper management of various cadres under their control

II Training

19 (a) Formulation and coordination of training policies for the All India and Central Services

(b) National Academy of Administration and Secretariat Training School

(c) Training programmes for the Indian Administrative Service, Central Secretariat Service, Indian Economic Service and Indian Statistical Service.

(d) Preparation and publication of training material and of information of training techniques, facilities and programmes

(e) Liaison with training institutions within the States and abroad

(f) Refresher and special courses for Middle and Senior Management levels

III Vigilance and Discipline

20 (a) The Prevention of Corruption Act, 1947, the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division and the Administration Division), the Food Offences Wing and Economic Offences Wing

(b) Accord of sanction for the prosecution of any person for any offence investigated into by the Delhi Special Police Establishment where such sanction is required to be accorded by the Central Government

NOTE—Sanction for the prosecution of any person for any offence not investigated into by the Delhi Special Police Establishment shall be accorded by the Administrative Department where such sanction is required to be accorded by the Central Government

(c) Central Vigilance Commission

(d) All policy matters pertaining to vigilance and discipline among public servants

(e) Relationship between members of Parliament and the Administration.

IV. Service Conditions

21. General questions (other than those which have a financial bearing) including conduct Rules relating to All India and Union Public Service except in regard to services under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electronics Vibhag), and the Department of Space (Antareeksh Vibhag)

22 Conditions of service of Central Government employees [excluding those under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics [Electronics Vibhag), and the Department of Space (Antareeksh Vibhag)] other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests

23 Leave travel concession for civil employees other than Railway employees.

24 The Central Services (Temporary Service) Rules, 1949

25 General policy regarding retrenchment and reversion of temporary Government servants except those under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya).

26 Administration of the Central Services (Safeguarding of National Security) Rules.

27 Uniforms for Class IV and other Government servants in the Central Secretariat, and its attached offices

28 Working hours and Holidays for Government of India offices

29 Administration of service rules with financial content under specific delegation made by the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)

30 Advice on proposals in respect of the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) relating to the number or grade of posts or to the strength of a Service or to the pay and allowances of Government servants or any other conditions of their service having financial implications

31 General policy regarding reimbursement of legal expenses incurred by Government servants

32 Proposals for grant of ex-officio Secretariat status

33 Honorary appointments of persons in civil posts

34 Oath of allegiance to the Constitution

V. Senior and Middle Managements

35 All aspects of Senior Management (i e, Joint Secretaries and above and their equivalents) including development of personnel for it

36. (a) Establishment Officer to the Government of India

(b) Appointments Committee of the Cabinet

(c) Central Establishment Board

(d) Career Development for Middle Management (i e, Directors, Deputy and Under Secretaries and their equivalents)

VI Government Employees Relations, including Staff Grievances and Welfare

37 (a) Service Associations of the industrial and non-industrial employees of the Government of India

(b) Joint Consultative Machinery, Departmental Council for the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag)

(c) Machinery for the redress of staff grievances

(d) Staff welfare including sports, cultural activities, Grih Kalyan Kendras, Canteens, Cooperative Stores, etc

(e) Other matters involving Government-Employees relations not specifically provided for under any other entry relating to the Department.

VII. Union Public Service Commission

38 Union Public Service Commission

VIII Centralised aspects of managing IAS, inter-Ministry cadres, including a career Planning for the Members thereof

39 (a) Creation of new All India Services

(b) Rules and Regulations under the All India Services Act

(c) All matters relating to the Indian Administrative Service including the Indian Civil Service

(d) All India Civil List and History of Services.

(e) Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers' Service and Central Secretariat Clerical Service

(f) Indian Statistical Service and Indian Economic Service

IX. Career Planning and Manpower Planning

40 (a) General Policy questions regarding Career Planning and Manpower Planning for the All India and Central Government Services

(b) All maters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service, Central Secretariat Services, Indian Statistical Service and Indian Economic Service.

X Personnel Management Agencies

41 Co-ordination of the work of personnel management agencies within various Ministries

XI. Research in Personnel Administration, etc

42 Research in personnel Administration; liaison with State Governments, professional institutions etc, in personnel matters

XII Allocation of personnel and Integration of Services as a result of States Reorganisation

43 (a) Allocation of service personnel affected by reorganisation of States

(b) Division and integration of services affected by the reorganisation of States other than in Union Territories

(c) Protection of service conditions of personnel affected by re-organisation of States

(d) Other matters relating to State Services affected by the re-organisation of States

XIII. Administrative Reforms

44 Administrative Reforms

45 Organisation and methods";

(v) for the heading "CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely —

"CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)

1 Secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet Committees

2 Rules of Business."

B D JATTI,
Vice-President,
Acting as President.

[No 74/2/6/76-CF]

R. M AGRAWAL, Jt. Secy

मन्त्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1977

का० आ० 291(अ)—राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत उप-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ बीसवां संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2 भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में —

(i) प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

(i) स्वास्थ्य विभाग ।

(ii) परिवार कल्याण विभाग ।

(ii) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9 गृह मंत्रालय

(मंत्रालय में राजभाषा विभाग और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सहित) ।";

(iii) प्रविष्टि 29 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"29 मंत्रिमंडल सचिवालय";

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,—

(i) "राजस्व और बैंकिंग विभाग" शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 14 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"14क प्रवर्तन, अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 के अधीन भंगता के कारण उद्भूत होने वाले मामलों का अन्वेषण, न्याय-निर्णयन और अभियोजन, राजस्व आसूचना महानिदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय ।";

(ii) शीर्षक "स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय",

(iii) शीर्षक "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय" के अन्तर्गत उप-शीर्षक "ख. परिवार f। जन विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् ;—

"ख. परिवार कल्याण विभाग',

(iv) "गृह मन्त्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, उपशीर्षक 'राजभाषा विभाग" तथा उसके अतर्गत प्रविष्टियो क पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् '—

"कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

I **सेवाओं में भर्ती प्रोन्नति और मनोबल**

1. नागरिको के कतिपय वर्गों के लिए सेवाओ मे पदों का आरक्षण ।

2. रेल सेवाओ और परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग और अतरिक्ष विभाग के नियन्त्रणाधीन सेवाओ के सिवाय, केन्द्रीय सेवाओ से सबधित भर्ती, प्रोन्नति और ज्येष्ठता संबधी साधारण प्रश्न ।

3. सरकारी सेवा मे नियुक्ति के लिए आयु-सीमाओं, स्वास्थ्य मानकों, शैक्षिक अर्हताओं तथा अत नीकी डिग्रियो/डिप्लोमों की मान्यता की बाबत साधारण नीति ।

4 रेल सेवाओं से भिन्न सेवाओ के संबध मे पदो के वर्गीकरण और राजपत्रित हैसियत प्रदान करने के सबध में साधारण नीति विषयक मामले ।

5. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग और अतरिक्ष विभाग के सिवाए, भारत सरकार के सचिवालय और उसके सलग्न कार्यालयो के लिए अनु-सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती ।

6. रेल मन्त्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग और अतरिक्ष विभाग के सिवाए, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर अभारतीयो की नियुक्ति ।

7 विभिन्न देशो से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियो के नियोजन सबधी सहायता देने की बाबत साधारण नीति ।

8 सिविल पदों और सेवाओ मे नियुक्ति की बाबत युद्धसेवा-अभ्यर्थियो को रियायतें ।

9. जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में है उन क्षेत्रों से आने वाले विस्थापित सरकारी सेवकों और छटनी किए गए अस्थायी कर्मचारियों के पुन स्थापन के संबध मे साधारण नीति ।

10 लोक सेवाओं में प्रथम नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के विषय मे राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें ।

11 अधिवर्षिता-प्राप्त अधिकारियों के सेवा-विस्तारण और पुनर्नियोजन के संबध मे साधारण नीति ।

12. भारतीय नागरिको से भिन्न व्यक्तियो की बाबत, सघ के अधीन सिविल सेवाओ और पदों पर नियुक्ति के लिए, पात्रता के प्रमाणपत्र देना ।

13. (क) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन और द्विपक्षी आधार पर विदेशस्थ भारतीय विशेषज्ञों की एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति,

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सहबद्ध अभिकरणों के साथ तथा आई०एल०ओ०, एफ०ए०ओ०, इत्यादि जैसे उसके अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो के साथ नियोजन के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ।

14 सरकारी सेवा मे नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त-उपयुक्तता संबंधी सत्यापन विषयक साधारण नीति ।

15. उच्चतर पदो के लिए रोजगार कार्यालयो मे ऐसे कार्मिको के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो सेवा मे हो, आपत्ति न होने संबधी प्रमाणपत्रो को जारी करने के संबध में नीति विषयक मामले ।

16 मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द संबधी मामले ।

17. निम्नलिखित के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो में अधिशेष हो गए कर्मचारियों का पुन: अधिनियोजन—

(i) प्रशासनिक सुधार;

(ii) कर्मचारिवृन्द निरीक्षण एकक द्वारा किए गए अध्ययन,

(iii) दीर्घकालिक किन्तु अस्थायी संगठनों का परिसमापन ।

18 मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न काडरो के समुचित प्रबन्ध के संबंध में मंत्रालयों को सलाह ।

II. प्रशिक्षण

19. (क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना और उनका समन्वय ।

(ख) राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(घ) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का और प्रशिक्षण तकनीकों, सुविधाओ और कार्यक्रमों की जानकारी का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन ।

(ङ) राज्यों के भीतर की तथा विदेशो की प्रशिक्षण संस्थाओ के साथ सम्पर्क ।

(च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबन्धकगण के स्तरो के लिए पुनश्चर्या तथा विशेष पाठ्यक्रम ।

III सतर्कता और अनुशासन

20 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन जिसके अन्तर्गत विधिक प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग आते है), खाद्य संबधी अपराधों की शाखा और आर्थिक अपराध शाखा ।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषित किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त उस दशा में मंजूरी देना जब कि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाए ।

टिप्पण—किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा न किया गया हो, किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त मंजूरी प्रशासन विभाग द्वारा उस दशा में दी जाएगी जब कि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाए ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ;

(घ) लोक सेवकों के मध्य सतर्कता और अनुशासन-संबंधी सभी नीति विषयक मामले;

(ङ) संसद् सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध ।

IV. सेवा की शर्तें

21. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिक्स विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सिवाय, अखिल भारतीय और संघ लोक सेवाओं संबंधी साधारण प्रश्न (उनसे भिन्न जिनका वित्त से संबंध है), जिनमें आचरण नियम भी आते हैं ।

22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिक्स विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों को छोड़कर) की वे सेवा शर्तें, जो उनसे भिन्न हैं, जिनका वित्त से संबंध है और जिनका विस्तार वहां तक है जहां तक उनसे सेवा के साधारण हितों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं ।

23. रेल कर्मचारियों से भिन्न सिविल कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा सुविधाएं ।

24. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 ।

25. रेल मंत्रालय के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के सिवाय, ऐसे सेवकों की छंटनी और प्रतिवर्तन संबंधी साधारण नीति ।

26. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना) नियमों का प्रशासन ।

27. केन्द्रीय सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों में वर्ग IV तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिए वर्दियां ।

28. भारत सरकार के कार्यालयों के लिए काम के घंटे और अवकाश-दिन ।

29. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन जिनमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्टतः प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों ।

30. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह, जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या या श्रेणी से अथवा उसकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों से हो जिनमें वित्तीय प्रश्न निहित हो ।

31. सरकारी सेवकों द्वारा किए गए विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति ।

32. पदेन सचिवालय हैसियत प्रदान करने के लिए प्रस्थापनाएं ।

33. सिविल पदों में व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां ।

34. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।

ज्येष्ठ और मध्यवर्गीय प्रबन्धकगण

35. ज्येष्ठ प्रबन्धकगण (अर्थात् संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्षों) के सभी पहलू, जिन के अन्तर्गत उनके लिए कार्मिकों की अभिवृद्धि भी है ।

36 (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी ,

(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ;

(ग) केन्द्रीय स्थापन बोर्ड ,

(घ) मध्यमवर्गीय प्रबन्धकगण (निदेशकों, उपसचिवों और अवर सचिवों तथा उनके समकक्षों) के भविष्य का विकास ।

VI. सरकार-कर्मचारी संबंध जिसके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द की शिकायतें और कल्याण भी है

37. (क) भारत सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों के सेवा संगम ।

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र; कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए विभागीय परिषद् ।

(ग) कर्मचारिवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिए तन्त्र ।

(घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण, जिसके अन्तर्गत खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैन्टीनें, सहकारी स्टोर आदि हैं ।

(ङ) सरकार-कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले जो इस विभाग के संबंध में किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत उपबंधित नहीं हैं ।

VII. संघ लोक सेवा आयोग

38. संघ लोक सेवा आयोग ।

VII. भारतीय प्रशासनिक सेवा, अन्तरमंत्रालय काडर, जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की भविष्य विषयक योजना आती है, के प्रबन्ध के केन्द्रित पहलू

39 (क) नयी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ;

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन नियम और विनियम ,

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके अन्तर्गत भारतीय सिविल सेवा है, से संबद्ध समस्त मामले ,

(घ) अखिल भारतीय सिविल सूचि और सेवाओं का इतिहास ;

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा ।

(च) भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा ।

IX. भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना

40. (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकारी सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से सम्बद्ध सभी मामले।

X. कार्मिक प्रबन्ध अभिकरण

41. विभिन्न मंत्रालयों के भीतर प्रबन्ध अभिकरणों के काम का समन्वय।

XI. कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, आदि

42. कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, कार्मिक संबंधी मामलों में राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं आदि के साथ सम्पर्क।

XII. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आवंटन और सेवाओं का एकीकरण

43. (क) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा-कार्मिकों का आवंटन।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा का, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न में, विभाजन और एकीकरण।

(ग) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कार्मिकों की सेवा की शर्तों का संरक्षण।

(घ) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित राज्य सेवाओं से संबद्ध अन्य मामले।

XIII. प्रशासनिक सुधार

44. प्रशासनिक सुधार।

45. संगठन और पद्धति।"

(v) शीर्षक "मंत्रिमंडल सचिवालय" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को अनुसचिवीय सहायता।

2. कार्य के नियम।"

बसप्पा दानप्पा जत्ती,
भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए
उपराष्ट्रपति।

[सं० 74/2/6/76-सी० एफ०]

आर० एम० अग्रवाल, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977